

**हरियाणा सरकार**  
**तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा**

**( राजकीय तकनीकी संस्थान में हरियाणा के अनुसूचित जाति छात्रों हेतु छात्रवृत्ति )**

निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत एआईसीटीई अनुमोदित कोर्सों अर्थात पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, डीएचएमसीटी, बीएचएमसीटी, बी.आर्क, बी.ई./बी.टेक., एम.ई./एम. टेक./इंजीनियरिंग विषयों में पीएच.डी./एमबीए/एमसीए (तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थान में केवल नियमित मोड के माध्यम से) करने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति छात्रों से सत्र 2019-20 हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

Sr. No.	Name of the Scheme	Eligibility	Fee(S) Covered for reimbursement
1.	Schedule Caste Sub Plan (SCSP) Scheme (Haryana Govt. Scheme) Tuition fee Reimbursement	All Scheduled caste students having annual Parental Income between Rs. 2.50 to 3.50 Lac from all sources and admitted through Centralized Counseling	Tuition Fee Only (Actual Tuition Fee or Rs. 20000/- for Diploma & Rs. 40000/- for Degree Courses whichever is lower)

4) योजना का विवरण :- विभाग की वेबसाइट [www.techeduhry.gov.in](http://www.techeduhry.gov.in) पर लिंक "एससी स्कॉलरशिप" के अंतर्गत उपलब्ध।

5) छात्रों द्वारा आवेदन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

Sr.	Name of the Scheme	Procedure of filling of application
1.	3Schedule Caste Sub Plan (SCSP) Scheme (Haryana Govt. Scheme) Tuition fee Reimbursement	Application form can be downloaded from the deparatment website <a href="http://www.techeduhry.gov.in/">www.techeduhry.gov.in/</a> can also be obtained free of cost from the concerned institute & the filled application form with required document should be submitted by applicant to his/her institution.

6) आवेदन अग्रेषित करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत तकनीकी संस्थान हेतु अंतिम तिथि : तकनीकी संस्थान के सभी प्रमुखों से निवेदन किया जाता है कि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध और पहले से अवगत कराए गए अनुसार संबंधित जिला/विभाग (विभाग द्वारा नामित) के प्रोसेसिंग सेंटर पर 10 जनवरी, 2020 को या पहले समर्थित दस्तावेज और पूर्ण आवेदन प्रपत्रों के साथ समेकित सूचियां प्रस्तुत करें और प्रोसेसिंग सेंटर डिस्बर्सिंग सेंटर अर्थात गुरु ब्रहमानंद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, नीलोखेड़ी को 20 जनवरी, 2020 को या इससे पूर्व वांछित दस्तावेज के साथ सभी पात्र/अनुमोदित/सत्यापित मामले को पुनः प्रस्तुत करेगा।  
टिप्पणी :- डिस्बर्सिंग सेंटर को 20 जनवरी, 2020 के बाद प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

PRDH-79641N

महानिदेशक  
तकनीकी शिक्षा हरियाणा